रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272830
CG-DL-E-23052026-272830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948**
No. 358]	**NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948**

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 399(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम*, 2025* (2025 का 36) की धारा 33 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंडों (ग) और (घ) तथा धारा 12 की उप-धाराओं (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्री दीपक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वितीय तल, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—** (1) इन नियमों को विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी **(**विकसित भारत – जी राम जी) केंद्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (केंद्रीय परिषद्) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

(क) "अधिनियम" से "विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025" (2025 का सं. 36) अभिप्रेत है;

(ख) "केंद्रीय परिषद्" से धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित केंद्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से केंद्रीय परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "जिला पंचायत" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो संविधान के भाग IX के प्रावधानों के अनुसार, जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243ख के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है;

(ङ) "कार्यकारी समिति" से नियम 9 के उप-नियम (1) के अंतर्गत गठित केंद्रीय परिषद् की कार्यकारी समिति अभिप्रेत है;

(च) "सदस्य-सचिव" से केंद्रीय परिषद् के सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की एक धारा अभिप्रेत है;

(ज "योजना" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना अभिप्रेत है;

(झ) "तकनीकी सचिवालय" से केंद्रीय परिषद् का तकनीकी सचिवालय अभिप्रेत है;

(ञ) यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए, किन्तु 2025 के अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 2025 के अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. केंद्रीय परिषद्—उप-नियम (2) के प्रावधान (1) के अध्यधीन, धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित केंद्रीय परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) ग्रामीण विकास केंद्रीय मंत्री,……… अध्यक्ष, पदेन;

(ख) ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री, ……… उपाध्यक्ष, पदेन

(ग)

(i) भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, सदस्य, पदेन;

(ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी, ……… सदस्य;

(iii) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी………सदस्य;

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी ……….सदस्य;

(v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी ……..सदस्य;

(vi) पंचायती राज मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी……….सदस्य;

(vii) जनजातीय कार्य मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी………सदस्य;

(viii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव, भारत सरकार स्तर के नामित अधिकारी ………सदस्य;

(ix) नीति आयोग से न्यूनतम सलाहकार स्तर के एक प्रतिनिधि……..सदस्य;

(x) विधि और न्याय मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रतिनिधि………सदस्य;

(xi) श्रम और रोज़गार मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रतिनिधि………सदस्य;

(xii) जल शक्ति मंत्रालय से न्यूनतम संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रतिनिधि………सदस्य।

(घ) राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के छः प्रतिनिधि, जो संबंधित राज्य सरकार के न्यूनतम सचिव स्तर के पद के होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे...........सदस्य;

(ङ) पंचायती राज संस्थाओं, श्रमिकों और वंचित समूहों के संगठनों से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित पंद्रह सदस्य, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएँ होंगी, और जिनमें शामिल होंगे;

(i) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित दो fप्रतिनिधि। अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों में से एक-एक प्रतिनिधि;

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा एक बार में दो वर्ष की अवधि के लिए आवर्तन के आधार पर नामित चार जिला पंचायत अध्यक्ष;

(च) राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों में विशेषज्ञ होगा—

(i) जल सुरक्षा

(ii) ग्रामीण अवसंरचना

(iii) आजीविका

(iv) आपदा जोखिम न्यूनीकरण

(v) सामाजिक लेखा परीक्षा;

(vi) मजदूरी रोज़गार;

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी;

(viii) विधि;

(छ) वह अधिकारी, जो "विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी)"अधिनियम, 2025 के प्रभारी अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पद से निम्न न हों..... सदस्य-सचिव

(2) केंद्रीय परिषद् के कुल गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य होंगी।

4. सदस्यों की नियुक्ति के नियम एवं शर्तें— (1) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक वे अपने-अपने मंत्रालयों या विभागों में सेवारत हैं अथवा जब तक संबंधित मंत्रालय या विभाग उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को नामांकित नहीं कर देता।

(2) राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(3) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) के अंतर्गत नामांकित केंद्रीय परिषद् का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य शासकीय राजपत्र में अपनी नियुक्ति के प्रकाशन की तारीख से एक बार में दो वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा/करेगी।

(4) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) और खंड (च) के अंतर्गत नामांकित गैर-सरकारी सदस्य पुनः-नामांकन के पात्र होंगे:

परंतु इस उप-नियम और उप-नियम (3) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में चार वर्ष से अधिक पद धारण नहीं करेगा।

(5) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) और (ङ) के अंतर्गत नामित गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा स्वीकार्यता अनुसार केंद्रीय परिषद् या कार्यकारी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अन्य भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(6) गैर-सरकारी सदस्य केंद्रीय परिषद् या उसकी कार्यकारी समिति की बैठकों के दिनों के लिए अथवा किसी अन्य सरकारी कार्य के लिए, जिसके लिए वे केंद्रीय परिषद् के आमंत्रण पर नई दिल्ली में मुख्यालय या किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

5. गैर-सरकारी सदस्यों का पदत्याग, आदि— (1) कोई भी गैर-सरकारी सदस्य,—

(क) किसी भी समय, अध्यक्ष को संबोधित लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है।

(ख) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट कोई भी निरर्हता अर्जित करने की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है।

(2) केंद्रीय सरकार किसी गैर-सरकारी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि सदस्य—

(i) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ii) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें, केंद्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्निहित है; या

(iii) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो; या

(iv) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हों जिनसे सदस्य के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(v) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो; या

(vi) नियंत्रणातीत कारणों के अलावा अथवा अध्यक्ष की अनुमति के बिना केंद्रीय परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(3) केंद्रीय परिषद् में किसी गैर-सरकारी सदस्य के पदत्याग, मृत्यु, निष्कासन या अन्यथा रिक्ति उत्पन्न होने पर उसे उसी श्रेणी से नामांकन द्वारा भरा जाएगा जिसका ऐसे सदस्य ने प्रतिनिधित्व किया था; और नव-नामांकित व्यक्ति उस अवधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा, रिक्ति न होने की स्थिति में जिस अवधि के लिए उस सदस्य को, जिसके स्थान पर उसे नामांकित किया गया है पद धारण करना पड़ता।"

6. केंद्रीय परिषद् की बैठक और उसकी गणपूर्ति— (1) केंद्रीय परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार या जितनी बार आवश्यक समझे उससे अधिक बार, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर बैठक करेगी जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए:

परंतु केंद्रीय परिषद् की दो क्रमागत बैठकों के बीच छः महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष केंद्रीय परिषद् की प्रत्येक उस बैठक की अध्यक्षता करेगा/करेगी जिसमें वह उपस्थित हो, और उसकी अनुपस्थिति में, केंद्रीय परिषद् के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे।

(3) केंद्रीय परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति न्यूनतम सदस्यों का एक-तिहाई होगी।

7. बैठकों की प्रक्रिया— (1) सदस्य-सचिव केंद्रीय परिषद् की बैठक के लिए कम से कम चौदह स्पष्ट दिन की सूचना देगा, जिसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान उल्लिखित होगा।

(2) यदि बैठक में गणपूर्ति उपस्थित न हो, तो अध्यक्ष बैठक को अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकता/सकती है, और स्थगित बैठक में उपस्थित अध्यक्ष तथा सदस्य गणपूर्ति निर्धारित करेंगे।

(3) केंद्रीय परिषद् की किसी भी बैठक में प्रस्तुत एजेंडे की प्रत्येक मद का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और किसी भी सदस्य को प्रतिनिधि द्वारा मत देने की अनुमति नहीं होगी।

(4) किसी प्रस्ताव या प्रश्न पर मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा।

(5) सदस्य-सचिव, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यवृत्त का परिचालन करेगा।

8. केंद्रीय परिषद् के कार्य।-(1) केंद्रीय परिषद् निम्नलिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

(क) एक केंद्रीय मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली स्थापित करना;

(ख) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर केंद्रीय सरकार को परामर्श देना;

(ग) समय-समय पर निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना;

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी का यथासंभव व्यापक प्रसार करना;

(ङ) इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्रीय सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदनों की तैयारी;

(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य या कार्य।

(2) केंद्रीय परिषद् को इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करने और उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सांख्यिकी एकत्र करने या एकत्र कराने की शक्ति होगी।

(3) केंद्रीय परिषद्, ऐसे नियंत्रण और निदेशों के अध्यधीन, दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए ऐसे वित्तीय और प्रशासनिक मामलों से निपटने के लिए सदस्य-सचिव को प्राधिकृत कर सकती है।

(4) केंद्रीय परिषद् अपने लेखाओं और अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(5) सदस्य-सचिव, केंद्रीय परिषद् और कार्यकारी समिति के कार्यवृत्त-अभिलेख और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

9. कार्यकारी समिति— (1) केंद्रीय परिषद्, उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन और कार्यों के संपादन में सहायता करने के लिए कार्यकारी समिति नामक एक समिति का गठन करेगी।

(2) **कार्यकारी समिति** उप-नियम (1) के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः:--

(i) भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव।	अध्यक्ष
(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार; पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य सरकारों के सचिव स्तर के दो सदस्य।	सदस्य;
(iii) केंद्रीय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित केंद्रीय परिषद् के चार गैर-सरकारी सदस्य।	सदस्य।

(3) केंद्रीय परिषद् के सदस्य-सचिव, कार्यकारी समिति के भी सदस्य-सचिव होंगे।

10. कार्यकारी समिति के कार्य।— (1) केंद्रीय परिषद् के साधारण अधीक्षण और निदेशों के अध्यधीन, कार्यकारी समिति निम्नलिखित कर्तव्यों और कार्यों का पालन करेगी, अर्थात्:--

(क) केंद्रीय परिषद् के निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना;

(ख) केंद्रीय परिषद् के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना

(ग) केंद्रीय परिषद् के मामलों के संबंध में व्यय को मंजूरी देना;

(घ) अधिनियम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी सहायता और परामर्श हेतु विशेषज्ञ समूहों की नियुक्ति करना;

(ड़) केंद्रीय परिषद् द्वारा इसे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करना और कार्यों का पालन करना।

11. तकनीकी सचिवालय— (1) केंद्रीय परिषद् और कार्यकारी समिति को एक तकनीकी सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे केंद्रीय सरकार इन नियमों के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थाजनक और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित कर सकती है।

(2) तकनीकी सचिवालय का नेतृत्व सदस्य-सचिव करेंगे, और कार्यकारी समिति द्वारा निर्णीत प्रक्रियाओं, मानदंडों और शर्तों के आधार पर सूचीबद्ध व्यावसायिक सेवाओं के व्यक्ति इसमें कार्य करेंगे।

(3) तकनीकी सचिवालय के लिए नियोजित व्यावसायिक सेवाओं के व्यक्ति इन नियमों में विनिर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों की सेवाओं से संबंधित होंगे।

12. केंद्रीय परिषद् की निधि— (1) केंद्रीय परिषद् अधिनियम या इन नियमों के अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों और मामलों से संबंधित अपने व्ययों की पूर्ति "विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम, 2025 के प्रशासनिक व्ययों से करेगी।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 399(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 33, and sub-sections (3) and (4) of section 12 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) , on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development,

2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called The Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB- G RAM G **(**विकसित भारत – जी राम जी) Central Gramin Rozgar Guarantee (Central Council) Rules, 2026

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,---

(a) "**Act**" means the "Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB- G RAM G **(**विकसित भारत – जी राम जी) **Act , 2025" (No. 36 of 2025);**

(b) **"Central Council**" means Central Gramin Rozgar Guarantee Council constituted under sub- section (1) of section 12 of the Act;

(c) **"Chairperson**" means the Chairperson of the Central Council;

(d) **"District Panchayat"** means an institution, by whatever name called, of self-government, constituted under article 243B of the Constitution, for the rural areas at the district level, in accordance with provisions of Part IX of the Constitution;

(e) **"Executive Committee"** means the Executive Committee of the Central Council constituted under sub-rule(1) of rule 9;

(f) "**Member- Secretary**" means the Member- Secretary of the Central Council;

(g) **"Section"** means a section of the Act;

(h) **"Scheme"** means a scheme notified by a State Government under Sub- section(1) of section 3 of the Act;

(i) "**Technical Secretariat**" means the Technical Secretariat of the Central Council;

(j) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.

3. The Central Council.— (1) Subject to the provision of sub- rule (2), the Central Council constituted under sub- section (1) of section 12 of the Act shall consist of the following, namely:—

(a) Union Minister for Rural Development,……… Chairperson, ex officio;

(b) Union Minister of State for Rural Development, ...Vice Chairperson, ex officio

(c) (i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development, member ex officio;

(ii) a nominee of the Ministry of Women and Child Development not below the rank of Joint Secretary to the Government of India ………member;

(iii) a nominee of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India………member;

(iv) a nominee of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India……….member;

(v) a nominee of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India……..member;

(vi) a nominee of the Ministry of Panchayat Raj not below the rank of Joint Secretary to the Government of India……….member;

(vii) a nominee of the Ministry of Tribal Affairs not below the rank of Joint Secretary to the Government of India………member;

(viii) a nominee of the Ministry of Social Justice and Empowerment, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India………member;

(ix) One representative of NITI Aayog not below the rank of advisor in NITI Aayog……..member;

(x) One representative of the Ministry of Law and Justice not below the rank of Joint Secretary………member;

(xi) One representative of the Ministry of Labour and Employment not below the rank of Joint Secretary………member;

(xii) One representative of the Ministry of Jal Shakti, not below the rank of Joint Secretary………member.

(d) six representatives of the Department of Rural development of the State Government, who shall not be below the rank of Secretary to the concerned State Government, to be nominated by the Central Government………..members;

(e) fifteen members to be nominated by the Central Government from Panchayati Raj Institutions, organizations of workers and disadvantaged groups, of whom one third shall be women, and shall include;

(i) Two representatives to be nominated by the Central Government from the Scheduled Caste and Other Backward Classes. One representative each from Scheduled Tribes, minorities and Persons with Disabilities;

(ii) Chairpersons of four District Panchayat nominated by the Central Government by rotation for a period of two year at a time;

(f) Eight members representing the States, to be nominated by the Central Government, of whom one shall be an expert in—

(i) Water Security
(ii) Rural Infrastructure
(iii) Livelihood
(iv) Disaster Risk Mitigation
(v) Social audit;
(vi) Wage employment;
(vii) Information Technology;
(viii) Law;

(g) The officer in charge of the "Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB- G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी)"Act, 2025, not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Rural Development…….. Member-Secretary

(2) Not less than one-third of the total number of non-official members of the Central Council shall be women.

4. Terms and conditions of appointment of Members.— (1) The Members representing the Ministries or Departments of the Government of India shall hold their offices as long as they are serving in their respective Ministries or Departments or until the concerned Ministry or Department nominates any other officer in their place.

(2) The term of office of the official members representing the State Governments shall be for a period of two years

(3) Every non-official member of the Central Council nominated under sub-clause (i) of clause (e) of sub-rule (1) of rule 3 shall hold office for a term of two years at a time, from the date of publication of his/her appointment in the Official Gazette.

(4) The non-official members nominated under sub clause (i) of clause (e) and clause (f) of sub-rule (1) of rule 3 shall be eligible for re-nomination:

Provided that no person referred to in this sub-rule and in sub-rule (3) shall hold office for more than four years in any case.

(5) The non-official members nominated under clauses (d) and (e) of sub-rule (1) of Rule 3 shall be entitled to receive travelling allowance, daily allowance, and other allowance, if admissible, for attending the meetings of the Central Council or the Executive Committee, at such rate as may be decided by the Central Government.

(6) The non-official members shall also be entitled to receive honorarium at such rate as may be decided by the Central Government, for the days of the meeting of the Central Council or its Executive Committee or any other official work for which they attend at the headquarters in New Delhi or at any other place on being invited by the Central Council.

5. Resignation, etc. of non-official members.— (1) Any non-official member may,—

(a) at any time, resign his office by giving a written communication addressed to the Chairperson.

(b) be removed from the office in case the member incurs any disqualification specified in sub-rule (2).

(2) The Central Government may, remove from office a non-official member, if the member-

(i) has been adjudged as an insolvent; or

(ii) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(iii) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(iv) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially the member’s function; or

(v) has so abused member’s position as to render continuance in office prejudicial to the public interest; or

(vi) remains absent for three consecutive meetings of the Central Council except for reasons beyond control or without permission of the Chairperson.

(3) Any vacancy in the central Council arising from resignation, death, removal or otherwise of a non-official member shall be filled by nomination from the same category to which such member represented; and the person newly nominated shall hold office for the remainder of the term for which the Member in whose place he or she is nominated would have held office, had the vacancy not occurred.

6. Meeting of the Central Council and its quorum.— (1) The Central Council shall meet at least twice a year or more frequently as it may consider necessary, at such place and at such time, as may be decided by the Chairperson:

Provided that not more than six months shall intervene between two consecutive meetings of the Central Council.

(2) The Chairperson shall preside at every meeting of the Central Council at which he or she is present, and in his/her absence, the Vice Chairperson of the Central Council shall preside.

(3) Not less than one-third of the members shall constitute the quorum for the meeting of the Central Council.

7. Procedure of the meetings.— (1) The Member-Secretary shall give at least fourteen clear days notice for the meeting of the Central Council, specifying therein the date, time and place of the meeting.

(2) If the quorum in the meeting is not present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date, and the Chairperson and the members present at the adjourned meeting shall constitute the quorum.

(3) Every item of agenda brought before any meeting of the Central Council shall be decided upon by a majority of the members present and voting and no member shall be allowed to vote by proxy.

(4) In the case of an equality of votes on any resolution or question, the Chairperson shall have a casting vote.

(5) The Member –Secretary shall, circulate the minutes of that meeting duly approved by the Chairperson.

8. Functions of the Central Council.-(1) The Central Council shall perform and discharge the following functions and duties, namely:-

(a) establish a central evaluation and monitoring system;

(b) advise the Central Government on all matters concerning the implementation of this Act;

(c) review the monitoring and redressal mechanism from time to time and recommend improvements required;

(d) promote the widest possible dissemination of information about the Schemes made under this Act;

(e) monitoring the implementation of this Act;

(f) preparation of annual reports to be laid before Parliament by the Central Government on the implementation of this Act;

(g) any other duty or function as may be assigned to it by the Central Government.

(2) The Central Council shall have the power to undertake evaluation of the various Schemes made under this Act and for that purpose collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Schemes.

(3) The Central Council may, subject to such control and directions, authorise the Member-Secretary to deal with such financial and administrative matters for the day-to-day functioning.

(4) The Central Council shall lay down the system and procedure for the maintenance of its accounts and other records.

(5) The Member-Secretary shall be responsible for the custody and maintenance of the minutes book and other records of the Central Council and those of the Executive Committee.

9. Executive Committee.— (1) The Central Council shall constitute a Committee to be called the Executive Committee to assist it to discharge the duties and perform the functions assigned to it.

(2) **The Executive Committee** constituted under sub-rule (1) shall consist of the following, namely:--

(i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development.	President
(ii) The Financial Advisor, Ministry of Rural Development; representative of the Ministry of Panchayati Raj and two Members who are Secretaries of State Governments nominated by the Chairperson of the Executive Committee.	Members;
(iii) Four non-official members of the Central Council to be nominated by the Chairperson of the Central Council	Member.

(3) The Member- Secretary of the Central Council shall be the Member- Secretary of the Executive Committee.

10. Functions of the Executive Committee.— (1) Subject to the general superintendence and directions of the Central Council, the Executive Committee shall perform the following duties and functions namely:--

(a) take steps to give effect to the decisions of the Central Council;

(b) manage the administrative and financial affairs of the Central Council

(c) sanction expenditure in connection with the affairs of the Central Council;

(d) appoint expert groups for technical support and advice to improve the quality of implementations of the Act;

(e) exercise such powers and perform such functions as may be entrusted to it by the Central Council.

11. Technical Secretariat.— (1) The Central Council and the Executive Committee shall be assisted by a Technical Secretariat, which may be established by the Central Government in accordance with these rules, to provide logistic and technical support for the implementation of the provision of the Act.

(2) The Technical Secretariat shall be headed by the Member-Secretary, and persons of professional services enlisted on the basis of procedures, norms and terms decided by the Executive Committee.

(3) The persons of professional services engaged for the Technical Secretariat shall pertain to services in functional areas specified in these rules.

12. Funds of the Central Council.— (1) The Central Council shall meet its expenses in connection with its affairs and the functions entrusted to it under the Act or these rules from the Administrative Expenses of "Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G **(**विकसित भारत – जी राम जी) Act, 2025

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.23 13:56:37 +05'30'